

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक पत्रा. 5 () वसु/2019-20/मुवसं/ 1449

दिनांक:- 25/02/2020

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए., राज. जयपुर।

विषय :- जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत। (Proposal No.FP/RJ/Water/39353/2019)

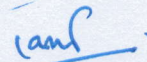
संदर्भ :- उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा का पत्र क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2020/1052-53 दिनांक 18.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा संदर्भित पत्र से जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रपत्र-1A की पूर्ति कर ऑनलाइन एवं हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। अतः इस कार्यालय के स्तर से प्रस्ताव के प्रपत्र-1A की पूर्ति कर मूल प्रस्ताव ऑनलाइन अग्रेषित करते हुए तीन हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(बी. प्रवीण)

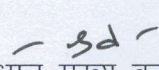
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर।

क्रमांक पत्रा. 5 () वसु/2019-20/मुवसं/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड-प्रथम, बांसवाड़ा।


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर।

PART - III

(to be filled by the concerned Chief Conservator of Forests)

Proposal No. **FP/RJ/WATER/39353/2019**

14.	Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Chief Conservator of forests (Yes/No.) , if yes the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	Inspection is not mandatory as the forest area involved is only 16.4546 ha. (Below 40 ha.)
15.	Whether the concerned Chief Conservator of Forests agrees with the information given in Part-A and Part-B the recommendations of Deputy Conservator of Forests.	Agree with the information given in Part A & recommendations of D.C.F. Banswara in part B.
16.	Specific recommendation of concerned Chief Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	May be accepted.

Dated : 25.02.2020

Place : Udaipur

(*card* B. Praveen)

Addl.Principal Chief Conservator of Forests
Office of Chief Conservator of Forests
Udaipur